भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 631**
**उत्तर देने की तारीख 06.02.2025**

**कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना**

631. **श्री वीरेन्द्र सिंहः**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत लक्षित सफलता का प्रतिशत कितना है तथा इसकी तुलना में सफलता का प्रतिशत कितना है;

(ग) क्या राज्यों में जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर उद्योग स्थापित करने की कोई योजना है, ताकि उनके उप-उत्पादों का उपभोग किया जा सके;

(घ) क्या सरकार का उत्तर प्रदेश के अत्यंत पिछड़े चंदौली जिले में धान और उसके उप-उत्पादों पर आधारित कोई उद्योग स्थापित करने का विचार है, क्योंकि धान उक्त क्षेत्र की मुख्य फसल है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

**(क) से (ङ)** सरकार निम्नलिखित स्कीम/कार्यक्रमों के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है:

**प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी),** एक ऋण संबद्ध स्कीम है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में 35% तक और शहरी क्षेत्रों में 25% तक बैंक ऋण पर सब्सिडी के माध्यम से कृषि आधारित उद्यमों/उद्योगों सहित विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में सहायता करती है। विगत चार वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एबीएफपीआई) का कार्य-निष्पादन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

**कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एबीएफपीआई)** ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) के अंतर्गत आने वाले उद्योगों में से एक है। इसमें ग्राम तेल उद्योग, सुगंधित तेल, शहद और मधुमक्खी पालन, पाम गुड़ और अन्य पाम उत्पाद, फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग, दलहन और अनाज प्रसंस्करण उद्योग, मसाले और मसालों का प्रसंस्करण उद्योग, गुड़ और खांडसारी उद्योग, लघु वन उपज का संग्रहण, बांस, बेंत और ईख उद्योग, जैविक रंगाई उद्योग, औषधीय पौधों का संग्रह और प्रसंस्करण उद्योग शामिल हैं।

शहद मिशन, ग्रामोद्योग विकास योजना के एबीएफपीआई उद्योग के अंतर्गत आने वाले घटकों में से एक है। शहद मिशन का वर्ष-वार कार्य-निष्पादन **अनुबंध-I** में दिया गया है।

**कयर विकास योजना (सीवीवाई)**, नारियल की खेती पर आधारित एक परंपरागत उद्योग है क्योंकि कयर उद्योग के लिए कच्चा माल नारियल की भूसी है जो नारियल की खेती का उप-उत्पाद है**,** देश में कयर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए**,** कयर बोर्ड छह अलग-अलग घटकों वाली अम्ब्रेला स्कीम कयर विकास योजना (सीवीवाई) को कार्यान्वित कर रहा है**,** जिसका उद्देश्य उत्पादन**,** रोजगार और निर्यात को बढ़ाने के साथ-साथ कयर और कयर उत्पादों के घरेलू विपणन के माध्यम से कयर क्षेत्र का सतत विकास करना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कयर बोर्ड के माध्यम से प्राप्त लक्ष्यों**,** उपलब्धियों और सफलता के प्रतिशत का स्कीम-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

**परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन हेतु निधि स्कीम (स्फूर्ति),** जिसमें कृषि आधारित क्लस्टर हैं जो देश में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देते हैं। 513 स्फूर्ति क्लस्टरों में से 138 कृषि आधारित हैं। 138 कृषि आधारित क्लस्टरों में से 86 क्रियाशील हैं और 52 कार्यान्वयनाधीन हैं।

**प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)** को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जाता है। मंत्रालय ने पीएमकेएसवाई की संबंधित घटक स्कीमों के अंतर्गत 9,110.08 करोड़ रुपये की अनुमोदित अनुदान सहायता/सब्सिडी और 22,748.45 करोड़ रुपये के निजी निवेश के साथ 31,858.53 करोड़ रुपये की परियोजना लागत वाली 1646 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है।

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई)** को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया जाता है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र हेतु उत्पाद संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआईएसएफपीआई) की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत कुल 171 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और अब तक, कुल 1084.01 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है।

**सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का पीएम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)** का कार्यान्वयन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा एक केंद्र प्रायोजित स्कीम के रूप में किया जाता है। पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत अब तक कुल 1,16,148 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण संबद्ध सब्सिडी के लिए मंजूरी दी गई है तथा देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 1042.06 करोड़ रुपये की सीड पूंजी के लिए 3,13,218 स्व-सहायता समूहों के सदस्यों को सहायता प्रदान की गई है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित **कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)** एक प्रमुख स्कीम है जो फसलोपरांत प्रबंधन और प्रसंस्करण अवसंरचना स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि-आधारित उद्योगों को बढ़ावा देती है। यह कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों, खाद्य भंडारण सुविधाओं, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और कृषि में मूल्य संवर्धन में सहायता करती है, जिससे किसानों और कृषि-उद्यमियों को कृषि-आधारित उद्योग स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके। एआईएफ को देश के कृषि अवसंरचना परिदृश्य को बदलने के विजन के साथ से शुरू किया गया था। कृषि अवसंरचना निधि, ब्याज सहायता और ऋण गारंटी सहायता के माध्यम से फसलोपरांत प्रबंधन अवसंरचना और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा है। इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपये की निधि का संवितरण वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2032-33 की अवधि के लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। एआईएफ 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 3% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता और सीजीटीएमएसई और एनएबी संरक्षण के अंतर्गत ऋण गारंटी कवरेज के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा, प्रत्येक इकाई अलग-अलग एलजीडी कोड्स में स्थित 25 परियोजनाओं के लिए स्कीम का लाभ पाने के लिए पात्र है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक इस स्कीम के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपये की निधि का संवितरण किया जाएगा तथा वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2032-33 की अवधि के लिए इस स्कीम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाएगी। दिनांक 26.1.2025 की स्थिति के अनुसार, एआईएफ के अंतर्गत 92393 परियोजनाओं के लिए 56334 (56%) करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, इस कुल स्वीकृत राशि में से 41996 करोड़ रुपये को स्कीम लाभ के अंतर्गत कवर किया जाता है। इन संस्वीकृत परियोजनाओं ने कृषि क्षेत्र में 91856 करोड़ रुपये का निवेश जुटाया है।

एआईएफ प्रत्यक्ष रूप से उद्योग स्थापित नहीं करता है, बल्कि निजी संस्थाओं, किसानों, एफपीओ और सहकारी समितियों को धान आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इच्छुक हितधारक चावल मिलों, पीएचएम संयंत्रों और धान उप-उत्पादों के लिए एकीकृत प्राथमिक और गौण प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने के लिए अन्य सब्सिडी योजनाओं के साथ एआईएफ के अंतर्गत रियायती ऋण और ऋण गारंटी का लाभ उठा सकते हैं।

*****

**अनुबंध-I**

**दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 631 के भाग (क)से (ङ) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध-I**

**विगत चार वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के अंतर्गत कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एबीएफपीआई) का कार्य-निष्पादन**

| वर्ष | परियोजना की संख्या | मार्जिन मनी सब्सिडी (रुपए लाख में) | अनुमानित रोजगार |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | 18503 | 58731.94 | 148024 |
| 2021-22 | 22620 | 71840.38 | 180960 |
| 2022-23 | 19835 | 69763.34 | 158680 |
| 2023-24 | 22863 | 82106.41 | 182904 |

ग्रामोद्योग विकास योजना के एबीएफपीआई उद्योग के अंतर्गत शहद मिशन का वर्ष-वार कार्य-निष्पादन

| क्र.सं. | वर्ष | वितरित किए गए छत्तों सहित मधुमक्खी बक्सों की संख्या | लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1. | 2017-18 | 13505 | 1384 |
| 2. | 2018-19 | 95726 | 9636 |
| 3. | 2019-20 | 28978 | 2920 |
| 4. | 2020-21 | 15050 | 1505 |
| 5. | 2021-22 | 15420 | 1542 |
| 6. | 2022-23 | 17360 | 1736 |
| 7. | 2023-24 (पी) | 17950 | 1795 |
| 8. | 2024-25 (दिनांक 31.12.2024 तक) | टूल किट वितरित नहीं किए गए | 400 |
| | **कुल** | **203989** | **20918** |

**अनुबंध-II**

**दिनांक 06.02.2025 को उत्तर के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 631 के भाग (क)से (ङ) के संदर्भ में उल्लिखित अनुबंध-II**

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कयर बोर्ड के माध्यम से प्राप्त लक्ष्यों, उपलब्धियों और सफलता के प्रतिशत का स्कीम-वार विवरण

| क्र.सं. | क्रियाकलाप का नाम | लक्ष्य | उपलब्धि | प्राप्त सफलता का प्रतिशत (% में) |
|---|---|---|---|---|
| I | **विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (एसएंडटी)** | | | |
| (क) | विकसित की गईं नई मशीनें | 3 | 2 | 66.66 |
| (ख) | नए उत्पाद का विकास | 10 | 9 | 90 |
| (ग) | प्रौद्योगिकी अंतरण | 20 | 20 | 100 |
| (घ) | नई प्रौद्योगिकी का विकास | 7 | 3 | 42.85 |
| (ङ) | प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय कार्य-निष्पादन और कयर तथा कयर उत्पादों की परीक्षण सेवा सुविधाएँ | 200 | 1077 | 538.5 |
| II | **कौशल उन्नयन एवं महिला कयर योजना** | | | |
| (क) | मूल्य वर्धित उत्पाद विनिर्माण पर प्रशिक्षण (प्रशिक्षुओं की संख्या) | 1800 | 2044 | 113.5 |
| (ख) | महिला कयर योजना पर प्रशिक्षण (प्रशिक्षुओं की संख्या) | 1800 | 1963 | 109.05 |
| (ग) | कयर प्रौद्योगिकी में कयर कारीगरों का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम - छह महीने (व्यक्तियों की संख्या) | 160 | 81 | 50.62 |
| (घ) | कयर प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा पाठ्यक्रम - 1 वर्ष (व्यक्तियों की संख्या) | 100 | 51 | 51 |
| (ङ) | ईडीपी (3 दिन) | 40 | 40 | 100 |
| (च) | जागरूकता कार्यक्रम | 40 | 47 | 117.5 |
| (छ ) | राष्ट्रीय संगोष्ठी | 10 | 12 | 120 |
| (ज) | कार्यशाला | 10 | 13 | 130 |
| (झ) | एक्सपोजर टूर | 10 | 10 | 100 |
| (ञ) | प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (आवश्यकता के आधार पर) | - | 54 | - |
| III | **निर्यात बाजार संवर्धन** | | | |
| (क) | आयोजनों की संख्या (अंतर्राष्ट्रीय मेला/सम्मेलन) | 10 | 7 | 70 |
| (ख) | एमएसएमई की संख्या (आईसी स्कीम -लाभार्थियों की संख्या) | 90 | 64 | 71.11 |
| (ग) | प्रबंधन विकास कार्यक्रम | 6 | 6 | 100 |
| (घ) | कयर उद्योग पुरस्कार | 1 | 0 | 0 |
| IV | **घरेलू बाजार संवर्धन** | | | |
| (क) | प्रदर्शनियां एवं बाजार संवर्धन | 71 | 94 | 132.39 |
| (ख) | क्षेत्र प्रदर्शन / बिक्री केंद्रों का नवीनीकरण एवं आंतरिक सजावट | 4 | 1 | 25 |
| (ग) | बाजार विकास सहायता (एमडीए) (लाख रुपए में) | आवश्यकता आधारित | 3.86 करोड़ | - |
| V | **व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएँ** | | | |
| (क) | बोर्ड के अधिकारियों को मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण | 50 | 237 | 474 |
| (ख) | कयर श्रमिकों को मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण | 500 | 500 | 100 |
| (ग) | सर्वेक्षण/मूल्यांकन अध्ययन | 1 | 0 | 0 |